मैसर्स हरूसैम मिनरल्स ग्राम कुलारंग चौरा तहसील व जनपद बागेश्वर उत्तराखण्ड के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनांक 09.09.2024 को आयोजित लोक सुनवाई का कार्यवृत्त।

मैसर्स हरूसैम मिनरल्स ग्राम कुलारंग चौरा तहसील व जनपद बागेश्वर उत्तराखण्ड के सोप स्टोन माईनिंग (क्षेत्रफल 13.730 है0) हेतु प्रस्तावित पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये लोक सुनवाई का प्रस्ताव उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुख्यालय, देहरादून के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। उक्त प्रस्ताव पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार की पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना–2006 यथासंशोधित के अंतर्गत आच्छादित है। उक्त पर्यावरणीय स्वीकृति के प्रस्ताव के क्रम में उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड देहरादून द्वारा जन सुनवाई की सूचना दैनिक समाचार पत्रों दैनिक जागरण (उत्तराखण्ड संस्करण) एवं टाइम्स ऑफ इण्डिया (दिल्ली संस्करण) में दिनांक 08.08.2024 के अंकों में प्रकाशित की गयी थी। उपरोक्त के क्रम में क्षेत्रीय कार्यालय हल्द्वानी द्वारा लोक सुनवाई से सम्बन्धित परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपलब्ध कराये गये परियोजना से सम्बन्धित ई0आई0ए0 रिपोर्ट व सारांश की प्रतियां जनसामान्य/इच्छुक संस्था के अवलोकनार्थ जिलाधिकारी कार्यालय बागेश्वर, जिला पंचायत कार्यालय बागेश्वर, महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र बागेश्वर, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद, बागेश्वर तथा क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, देहरादून को प्राप्त कराई गयी तथा दिनांक 09.09.2024 को लोक सुनवाई प्रस्तावित की गई। तदक्रम में अपर जिलाधिकारी, बागेश्वर की अध्यक्षता में दिनांक 09.09.2024 पूर्वान्ह् लगभग 11:00 बजे निकट परियोजना स्थल ग्राम कुलारंगचौरा तहसील व जनपद बागेश्वर में लोक सुनवाई आयोजित की गयी। लोक सुनवाई में उपस्थिति संलग्नानुसार है।

सर्वप्रथम डॉ0 डी0के0 जोशी, क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, हल्द्वानी द्वारा जनसुनवाई में उपस्थित सभी महानुभावों तथा लोक सुनवाई के पैनल में नामित अध्यक्ष अपर जिलाधिकारी, बागेश्वर तथा अन्य उपस्थित कार्मिकों का स्वागत किया गया तथा परियोजना के सम्बन्ध में अवगत कराते हुए अध्यक्ष महोदय से लोक सुनवाई प्रारम्भ करने की अनुमति चाही गयी।

अपर जिलाधिकारी, बागेश्वर की अनुमति के उपरान्त लोक सुनवाई की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। तद्क्रम में परियोजना के पर्यावरण सलाहकार संस्था पी0एण्डएम0 सौल्यूशन नोएडा उ0प्र0 के श्री भरत सिंह रावत द्वारा लोक जनसुनवाई की अध्यक्षता कर रहे अपर जिलाधिकारी, बागेश्वर/क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0नि0बोर्ड, हल्द्वानी व क्षेत्रीय जनता का स्वागत व अभिनन्दन कर इकाई का विवरण प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया गया कि प्रस्तावित परियोजना सोप स्टोन माईनिंग परियोजना से 36 लोगों को प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त होगा जिससे उनकी सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। खनन कार्य ओपन कास्ट मेकेनाइज्ड/सेमिमेकेनाइज्ड विधि से किया जायेगा।

क्रमशः–2

खनन से 05 वर्षों में 82784 (मीट्रिक टन) के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। क्षेत्र की मिट्टी की गुणवत्ता का आंकलन करने के लिए खनन क्षेत्र में और उसके आस–पास मिट्टी के तीन नमूने एकत्र किये गये। मिट्टी की भौतिक विशेषताओं को विशिष्ट मापदण्डों के माध्यम से चित्रित और अध्ययन करने पर पाया परिणामों के आधार पर यह स्पष्ट है कि मिट्टी किसी भी प्रदूषणकारी स्त्रोत से दूषित नहीं है। परिवेशीय वायु गुणवत्ता निगरानी से पता चलता है कि आवासीय और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों के भीतर है। पेयजल गुणवत्ता मानक सभी भौतिक–रासायनिक मानकों और भूजल नमूनों से भारी धातुएं पीने के पानी के मानकों के लिए निर्धारित सीमा से नीचे हैं। अध्ययन अवधि के दौरान अध्ययन क्षेत्र में एकत्र किये गये सभी नमूनों का पीएच मान सीमा के भीतर पाया गया। अध्ययन क्षेत्र से एकत्र किये गये पानी की नमूनों को खपत के लिए फिट पाया गया, अधिकांश भूजल के नमूने आईएस के अनुसार, अनुमेय सीमा के भीतर अच्छी तरह से हैं। सभी नमूनों में अधिकांश भारी धातुएं पता लगाने योग्य सीमा से नीचे है। शोर की निगरानी अध्ययन क्षेत्र के 10 किमी क्षेत्र के भीतर शोर की गुणवत्ता की स्थिति एमओईएफ मानकों के भीतर है। खनन क्षेत्रान्तर्गत कोई भी सार्वजनिक भवन एवं स्मारक आदि नहीं हैं जिससे खनन गतिविधियों में कोई विस्थापन सम्मिलित नहीं किया गया है। क्षेत्र में खनन गतिविधियों का प्रभाव क्षेत्र के सामाजिक–आर्थिक वातावरण पर सकारात्मक है। प्रस्तावित परियोजना स्थानीय लोगों को रोजगार प्रदान करेगी और जब भी जनशक्ति की आवश्यकता होगी स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी जायेगी। वन जीवन की संवदेनशीलता एवं महत्व के बारे में श्रमिकों को जागरूक करने के लिए जागरूकता शिविरों का आयोजन किया जायेगा। आरक्षित वन क्षेत्र में श्रमिकों व वाहनों के आवागमन के लिए कोई पथ या नई सड़क नहीं बनायी जानी चाहिए इससे वन विखण्डन, अतिक्रमण और मानव पशु मुठभेड को रोका जा सकेगा। अयस्क सामग्री ले जाने के लिए केवल कम प्रदूषण वाले वाहन को ही अनुमति दी जाएगी। वन क्षेत्र में हॉर्न की अनुमति नहीं होगी, ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) सीपीसीबी मापदण्डों के अनुसार ध्वनि स्तर अनुमन्य सीमा के भीतर होगा। ध्यान रखा जायेगा कि मजदूरों द्वारा किसी भी जानवर का शिकार न किया जाय। यदि जंगली जानवरों को को कोर जोन पार करते हुए देखा जाता है, तो उनको बिल्कुल भी परेशान नहीं किया जायेगा। खनन क्षेत्रान्तर्गत मजदूरों को भोजन, प्लास्टिक को त्यागने की अनुमति नहीं होगी आदि जो कोर साइट के पास जानवरों को आकर्षिक कर सकते हैं। किसी भी पेड़ को काटना, लकड़ी काटना, झाड़ियों और जड़ी–बूटियों को उखाड़ना नहीं चाहिए। आरक्षित वन क्षेत्र में अयस्क सामग्री की कोई भी ड्रिलिंग नहीं होनी चाहिए। आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पौधों के संग्रह पूरी तरह से प्रतिबंधित होगे। खदान के आसपास के पर्यावरण पर खनन के प्रभाव को कम करने के लिए पर्यावरण के अनुकूल कार्य किया जायेगा।

क्रमशः–3

परियोजना के माध्यम से सी0ई0आर0 कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न मदों हेतु बजट की कुल धनराशि रू0– 3.92 (लाख में) रखी गयी है जिसको जनप्रतिनिधि एवं ग्रामीणों से प्राप्त सुझावों के आधार पर परिवर्तित किया जायेगा। पर्यावरण के संरक्षण हेतु पूँजीगत लागत धनराशि रू0– 17.00 (लाख में) तथा आवर्ती लागत धनराशि रू0– 5.60 (लाख में) का प्राविधान रखा गया है साथ ही यह भी अवगत कराया गया कि सीमा के साथ रिटेनिंग वॉल के लिए पूजीगत लागत रू0– 1.50 (लाख में) को परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति के उपरान्त इस धनराशि का बढ़ाकर रू0– 3.00 (लाख में) किया जायेगा। खनन क्षेत्रान्तर्गत मजदूरों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी। क्षेत्र में खनन गतिविधि का प्रभाव क्षेत्र के सामाजिक एवं आर्थिक वातावरण पर सकारात्मक है। खनन गतिविधियों के प्रारम्भ होने के पश्चात ग्रामीणों के जीवन स्तर में सुधार होगा, खदान में प्राथमिक चिकित्सा सुविधा के रूप में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी, यह चिकित्सा सुविधाएं आपात स्थिति में आस–पास के स्थानीय लोगों को भी उपलब्ध करायी जायेगी। मानसून प्रारम्भ होने से पहले सभी खनन गढढों को अपशिष्ट पदार्थ द्वारा भरकर समतल कर लिया जायेगा ताकि बरसात में अपशिष्ट पदार्थ के रिसाव की रोकथाम की जा सके समतलीकरण किये हुये भूमि पर मानसून सत्र के दौरान खेती की जायेगी। नालों में चैक डैम भी बनाये जायेंगे, ताकि बरसात का साफ पानी चैक डैम के माध्यम से निकल जाय तथा अपशिष्ट पदार्थ चैक डैम की सतह पर एकत्रित हो सके। खनन गतिविधियों के दौरान पर्यावरण पर किसी भी महत्वपूर्ण नकारात्मक प्रभाव के बिना आगे बढ़ सकती है।

प्रस्तुतीकरण के उपरान्त प्रस्तावित सोप स्टोन खनन परियोजना के संबंध में उपस्थित जन समुदाय से उनके सुझाव, आपत्तियां एवं टीका–टिप्पणी प्रस्तुत करने हेतु अनुरोध किया गया। उपस्थित टीका टिप्पणी, विचार तथा सुझाव का विवरण निम्नवत है:–

1. श्री हरीश सिंह रौतेला ग्राम कुलारंगचौरा तहसील व जनपद बागेश्वर– श्री हरीश सिंह द्वारा कहा गया कि हम गरीब लोग हैं, मोटर मार्ग के ऊपर हमारे आवास हैं, मोटर मार्ग के ऊपर खनन कार्य नहीं होना चाहिए।
2. श्री दरवान सिंह रौतेला ग्राम कुलारंगचौरा तहसील व जनपद बागेश्वर– श्री दरवान सिंह द्वारा अपनी बात रखते हुए कहा कि प्रस्तावित परियोजना के माध्यम से स्थानीय ग्रामीण बेरोजगारों को रोजगार मिलना चाहिए। स्थानीय ग्रामीण रोजगार की तलाश में गांव से बाहर जाते हैं और बाहर के लोगों को परियोजना में काम मिलने पर ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त होगा। हम खनन कार्य से सहमत हैं।
3. श्री भगवान सिंह रौतेला ग्राम कुलारंगचौरा तहसील व जनपद बागेश्वर– हम खनन कार्य से सहमत हैं।
4. श्री श्याम सिंह रौतेला ग्राम कुलारंगचौरा तहसील व जनपद बागेश्वर– हम खनन कार्य से सहमत हैं कोई आपत्ति नहीं है।

क्रमशः–4

5. श्री बहादुर सिंह रौतला ग्राम कुलारंगचौरा तहसील व जनपद बागेश्वर– श्री बहादुर सिंह द्वारा श्री हरीश सिंह की बातों का समर्थन करते हुए कहा गया कि मोटर मार्ग के ऊपर ग्रामीणों के आवासीय भवनों को खनन से खतरा है मोटर मार्ग के ऊपर खनन कार्य नहीं होना चाहिए बाकि खनन से हम सहमत हैं।
6. श्री दिनेश सिंह बनकोटी (ग्राम प्रधान) कुलारंगचौरा तहसील व जनपद बागेश्वर– प्रधान जी द्वारा कहा गया कि जब ग्रामीण क्षेत्रान्तर्गत खनन कार्य से सहमत हैं तो उनका इतना ही कहना है कि ग्रामीणों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुये वैज्ञानिक विधि से खनन कार्य होना चाहिए।
7. श्री तरूण खेतवाल (परियोजना प्रतिनिधि)– श्री खेतवाल द्वारा लोक सुनवाई की अध्यक्षता कर रहे अपर जिलाधिकारी, बागेश्वर/क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0नि0बोर्ड, हल्द्वानी व उपस्थित ग्रामीणों का जनसुनवाई में स्वागत व अभिनन्दन करते हुए कहा गया कि ग्रामीणों द्वारा परियोजना के संबंध में जो भी सुझाव दिये गये हैं उन पर विचार किया जायेगा। परियोजना के माध्यम से स्थानीय ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा। खनन क्षेत्रान्तर्गत के पेयजल स्त्रोतों, पेयजल लाईनों व रास्तों आदि का मरम्मत कार्य किया जायेगा तथा खनन निधि से क्षेत्रान्तर्गत बच्चों के खेलने हेतु मैदान विकसित किया जायेगा।

अन्त में अध्यक्ष महोदय द्वारा उपस्थित क्षेत्रीय ग्रामीणों को परियोजना के पर्यावरण सलाहाकार द्वारा दिये गये प्रस्तुतीकरण के संबंध में कहा गया कि सी0ई0आर0 लागत के अन्तर्गत आस–पास के गाँव में स्वास्थ्य सुविधा हेतु फ्री मेडिकल कैम्प, व दवाईयों का वितरण हेतु प्रतिवर्ष धनराशि रू0– 80,000 हजार व्यय किये जाने का प्रविधान रखा गया है। इसी प्रकार स्कूलों में रसायन विज्ञान प्रयोगशाला/स्मार्ट क्लास की व्यवस्था व स्कूलों में स्टेशनरी के वितरण हेतु धनराशि रू0– 1,62,000 व्यय किये जाने का प्राविधान है। इण्टर कॉलेज परियोजना स्थल से अत्यधिक दूरी पर होने से रसायन विज्ञान प्रयोगशाला पर धनराशि व्यय किया जाना सम्भव न होने के कारण प्रस्तावित सम्पूर्ण धनराशि प्राथमिक विद्यालयों के छात्र–छात्राओं को कॉपी–किताब, स्कूल ड्रेस, स्वेटर आदि में प्रतिवर्ष व्यय किया जायेगा जिसका ग्राम प्रधान द्वारा पर्यवक्षेण किया जाना अनिवार्य है कि पट्टाधारक द्वारा प्रस्तावित धनराशि व्यय की जा रही है अथवा नहीं। ढुलाई सड़क मरम्मत एवं रखरखाव हेतु धनराशि रू0– 1.50 (लाख में) का प्राविधान पर्यावरण संरक्षण में किया गया जो अत्यधिक न्यून राशि है। जिससे ढुलाई सड़क मरम्मत एवं रखरखाव नहीं हो सकता है इसलिए प्रतिवर्ष व्यय की जाने वाली प्राविधानित राशि मर्सण कर व्यय किये जाने पर धरातल पर कार्य दिखायी देगा। परियोजना का क्षेत्रफल विस्तृत है खनन से ग्रामीणों के रास्तों क्षतिग्रस्त नहीं होने चाहिए। यदि रास्ते क्षतिग्रस्त होते हैं तो ढुलाई सड़क मरम्मत एवं रखरखाव में प्राविधानित धनराशि रू0– 01.00 (लाख में) से ही शीघ्र मरम्मत कार्य होना चाहिए। प्रदूषण निगरानी हेतु प्राविधानित धनराशि रू0– 1,10,000 का कोई औचित्य नहीं है इस धनराशि को रिटेनिंग वॉल में प्राविधानित राशि के साथ रखा जाना उचित होगा।

क्रमशः–5

खनन से ग्रामीणों के खेतों व आवासीय भवनों को नुकसान नहीं होना चाहिए। प्रस्तावित खनन क्षेत्रान्तर्गत सरकारी भूमि को कोई क्षति न हो अन्यथा भारी पैनाल्टी के संबंध में परियोजना प्रतिनिधि को अवगत कराते हुए यह भी संज्ञान कराया गया कि खनन क्षेत्रान्तर्गत सार्वजनिक सम्पति के रूप में एक प्राथमिक विद्यालय स्थित है जबकि प्रस्तुतीकरण में सार्वजनिक सम्पत्ति को शून्य दर्शाया गया है खनन से विद्यालय को कोई क्षति नहीं होनी चाहिए।

परियोजना के संबंध में समस्त औपचारिकताओं के पूर्ण हो जाने के उपरान्त खनन से पूर्व जिन काश्तकारों के खेतों में खनन कार्य किया जाना है परियोजना प्रस्तावक उनके साथ 02 वर्ष अथवा 05 वर्ष का अनुबन्ध गठित कर अनुबन्ध की शर्तों के अधीन कार्य करेंगे। जिससे खनन व मुआवजे से संबंधित कोई विवाद न हो यदि किसी भी एक पक्ष द्वारा अनुबन्ध की शर्तों का उल्लंघन किया जाता है तो प्रभावित पक्ष मा0 न्यायालय की शरण में जाने को स्वतंत्र है। जिन खेत मालिकों के खेतो में खनन कार्य नहीं होना है उनके खेतों को नुकसान नहीं होना चाहिए।

तत्क्रम में क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, हल्द्वानी द्वारा उपस्थित लोगों से पुनः सुझाव/आपत्तियों हेतु अनुरोध किया गया तथा कहा गया कि आपसे प्राप्त सुझावों/आपत्तियों को जनसुनवाई के कार्यवृत्त में सम्मिलित किया जायेगा। आपसे प्राप्त सुझाव/आपत्तियां प्रस्तावित परियोजना के संबंध में महत्वपूर्ण हो सकती हैं।

अन्य सुझाव/टिप्पणियॉ प्राप्त न होने पर परियोजना प्रस्तावक एवं उपस्थित सभी कार्मिकों एवं क्षेत्रवासियों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए लोक सुनवाई का समापन किया गया।

उक्त जन सुनवाई की वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी की गयी है तथा उपस्थित जन समुदाय की उपस्थिति दर्ज पंजिका की गयी।

(डॉ0 डी0के0 जोशी)
क्षेत्रीय अधिकारी,
उ0प्र0नि0 बोर्ड, हल्द्वानी।

(एन0 एस0 नबियाल),
अपर जिलाधिकारी
बागेश्वर।

मैं० हरुसैम मिनरल्स, ग्राम- कुलरंगचौरा, तहसील व जिला- बागेश्वर में कुलरंगचौरा सोप स्टोन माइनिंग (क्षे० 13.730 है०) हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आयोजित लोक सुनवाई में उपस्थिति का विवरण :-

सुनवाई स्थल :- ग्राम- कुलरंगचौरा, बागेश्वर।

समय एवं तिथि :- प्रातः 11:00 बजे, दिनांक 09/09/2024

क्र०सं०	नाम	पता	हस्ताक्षर
1.	एन० एस० नबियाल	अपर जिलाधिकारी बागेश्वर	[signature]
2.	डा० डी० के० जोशी	क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० नि० बोर्ड हल्द्वानी	[signature]
3.	भरत सिंह रावत	पर्यावरण सलाहकार	[signature]
4.	सी० बी० जोशी	म० का० उ० प्र० नि० बोर्ड	[signature]
5.	कुन्दन तिवारी	PA to ADM	[signature]
6.	[illegible] सिंह	कुला रंगचौड़ा	[signature]
7.	श्याम सिंह	कुला रंगचौड़ा	[signature]
8.	भगवान सिंह रावत	कुला रंगचौड़ा	
9.	भरत सिंह		[signature]
10	नारायण सिंह	कुला रंगचौड़ा	
11.	हरीश सिंह	कुला रंगचौड़ा	[signature]
12.	[illegible]	कुला रंगचौड़ा	हरीश सिंह
13	Kamlesh	कुला रंगचौड़ा	[signature]
14.	Rohit	कुला रंगचौड़ा	[signature]
15.	प्रमोद सिंह	कुला रंगचौड़ा	प्रमोद सिंह
16	दर्वान सिंह	कुला रंगचौड़ा	[signature]
17.	किशनु सिंह	कुला रंगचौड़ा	[signature]
18.	लक्ष्मण सिंह	कुला रंगचौड़ा	लक्ष्मण
19	हरीश सिंह	कुला रंगचौड़ा	हरीश सिंह
20	कविता ह्यूनाल	कुला रंगचौड़ा	कविता देवी
21	नीमा [illegible]	कुला रंगचौड़ा	नीमा देवी
22.	कुन्दन सिंह	कुला रंगचौड़ा	[signature]
23			

जन सुनवाई
खनन परियोजना : मैसर्स हरुसैम मिनरल्स
ग्राम- कुलरंग चौंरा, तहसील व जिला- बागेश्वर, उत्तराखण्ड
(सोप स्टोन माइनिंग क्षेत्रफल- 13.730 है.)
सुनवाई स्थल- ग्राम- कुलरंग चौंरा
समय एवं तिथि प्रातः 11:00 बजे, दिनांक 09/09/2024
पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आयोजित लोक सुनवाई में आपका हार्दिक स्वागत है।
आयोजकः-
क्षेत्रीय कार्यालय
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड
UKPCB
आवास विकास कॉलोनी - हल्द्वानी (नैनीताल) 263139
परियोजना प्रस्तावक- श्री तरूण खेतवाल
पर्यावरण सलाहकार- पी0 एण्ड0 एम0 सोल्यूशन, सी-88, सेक्टर 65, नोएडा (उत्तर प्रदेश)

जन सुनवाई
खनन परियोजना : मैसर्स हरुसैम मिनरल्स
ग्राम- कुलरंग चौंरा, तहसील व जिला- बागेश्वर, उत्तराखण्ड
(सोप स्टोन माइनिंग क्षेत्रफल- 13.730 है.)
सुनवाई स्थल- ग्राम- कुलरंग चौंरा
समय एवं तिथि प्रातः 11:00 बजे, दिनांक 09/09/2024
पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आयोजित लोक सुनवाई में आपका हार्दिक स्वागत है।
आयोजकः-
क्षेत्रीय कार्यालय
UKPCB
अपर जिलाधिकारी
बागेश्वर

सुरक्षात्मक उपाय
दूसरों की रक्षा करें।

पर सम्पर्क करें

कोरोना वायरस के खिलाफ बुनियादी सुरक्षात्मक उपाय
अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नम्बर 104 पर सम्पर्क करें
हमेशा मॉस्क का प्रयोग करें

104 पर सम्पर्क करें

आयोजकः-